न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 89/2012

1. बलवीरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदपीसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरशरणसिंह पुत्र अंग्रेजसिंह जाति जटसिख नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुखजिन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुखविन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. जसवीरकौर पत्नी बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. गुरमेलकौर पुत्री सोहनसिंह पत्नी बेशाखासिंह जाति जटसिख निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सरजीतकौर पुत्री सोहनसिंह पत्नी तोतासिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

——रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर

दिनांक 13.08.2012

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितिः—

श्री राजकुमार नागपाल, अभिभाषक अपीलांट

श्री सुभाष मिढा अभिभाषक रेस्पों.

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :— 06.11.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के न्यायालय में रा.का.अ. की धारा 88 का पेश कर सुरमुखसिंह के परिवार की वंशावली दर्शाते हुए चक 34 एफ के मु.न. 56 के कि0न0 16/2 की 0.051है0 कि0न0 24/2 की 0.127है0 एवं कि.न. 25 की 0.227है0 कुल 0.405है0 में वादीगण सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/4 हिस्सा एवं वादी सं. 3, 4 को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित करने एवं मु.न. 42 के कि.न. 1, 2/1 की 0.126है0 कि.न. 10, 11, 20, 21 की कुल 1.391 है. एवं मु.न. 56 के कि.न. 1 से 24 की 5.615है0 भूमि में से 3.502है0 हिस्सा में वादी सं. 1, 2 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक 1/4 हिस्सा एवं वादी संख्या 3 व 4 प्रत्येक को 1/8 हिस्सा का खातेदार घोषित करने का निवेदन किया।

प्रतिवादी सं. 1 ने जबाव दावा पेश कर निवेदन किया कि गोधासिंह ने प्रतिवादी के पति के हक में दिनांक 17.07.1988 को करवाई एवं गोधासिंह के मृत्यु के पश्चात इन्तकाल प्रतिवादी के पति के नाम से दर्ज हो चुका है। वसीसत पंजीकृत दस्तावेज है जिसे निरस्त कराये बिना वादी वाद नहीं ला सकते । वादीगण का विवादित भूमि में कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। अतः वाद खारिज किया जावें।

दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी. न्यायालय ने अनुतोष सहित 11 वाद बिन्दु कायम किये। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

ने वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादीगण/ अपीलार्थीगण ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गोधासिंह कुवारा ही फोत हो गया जिसकी मृत्यु के समय अपीलांट का पिता सोहनसिंह जीवित था। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत गोधासिंह की मृत्यु के बाद उसकी सम्पति का मात्र मालिक व वारिस अपीलांट का पिता सोहनसिंह था एवं सोहनसिंह की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण मालिक हुए। इस बाबत वादीगण ने अधी. न्यायालय में वाद पेश किया जिसका जबाव दावा प्रतिवादीगण ने पेश किया। दावा एवं जबाव दावा के आधार पर 10 वाद बिन्दु कायम किये गये जिनमें तनकी सं. 1 से 5 वादीगण को एवं 6 से 10 प्रतिवादीगण को साबित करने थे। मौजूदा प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि वसीयत सही है या नहीं। गोधासिंह को भूमि अपने पिता से आई थी इसलिए उसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में वसीयत शून्य दस्तावेज है। इसके अलावा बलविन्द्रसिंह गोधासिंह द्वारा गोद नहीं लिया गया था न ही गोदानामा पेश हुआ है। बलविन्द्रसिंह द्वारा वसीयत के आधार पर वाद पेश किया था जो खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया जावें। अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट द्वारा आर.आर.डी. 2011 पेज 508, डी.एन.जे. (एससी) पेज 419, डी.एन.जे. (रेवेन्यू)पेज 249, डी.एन. जे. (3) राज. 1373, डी.एन.जे. 2014(3) राज. पेज 1210 की नजीरे पेश की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने रा.का.अ. की धारा 88 का वाद पेश किया था। वसीयत पंजीकृत दस्तावेज

6/11/13
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

है जिसे निरस्त करने का अधिकार सक्षम सिविल न्यायालय को है जिसे अपीलार्थीगण द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। विवादित भूमि गोदासिंह की स्वयं अर्जित थी जिसका उसे वसीयत करने का पूर्णत अधिकार था जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य अधी. न्यायालय में पेश कर प्रदर्शित कराया है। विवादित भूमि पर कब्जा रेस्पों. का चला आ रहा है। अधी. न्यायालय ने प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है जिसमें कोई भूल नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 13.08.2012 के विरूद्ध पेश की है, जिसमें अपीलांट/वादीगण का विरासत का घोषणत्मक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अ. इस आधार पर खारिज किया गया है कि विवादित विरासत के बजाय वसीयत अनुसार devolve योग्य है तथा वसीयत फर्जी होने के कारण दावा गलत ढ़ग से खारिज किया है जो निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी. न्यायालय द्वारा दावे एवं जबाव दावे के आधार पर 10 तनकीयात कायम की, जिसमें से 1 से 5 तनकी वादीगण द्वारा साबित की जानी थी एवं 6 से 10 तक की तनकीयात प्रतिवादीगण द्वारा साबित की जानी थी जो तनकीयात 1 से 5 वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा साबित की जानी थी वे सभी संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई है तथा जो 6 से 10 तक की तनकीयात प्रतिवादीगण को सिद्ध करनी थी जो प्रतिवादीगण सिद्ध करने में असफल रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध विनिश्चित की गई है सार रूप में समस्त दावा ही अपीलांट/वादीगण के विरूद्ध विवेचित होकर विनिश्चित हुआ है। सिलसिलेवार पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श होकर मौखिक साक्ष्यों की मुख्य परीक्षा एवं जिरह का सारांश यह है कि विवाद का Key

6/11/12
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Person गोधासिंह की विवादित आराजी उसकी मृत्यु उपरान्त उसके द्वारा की गई वसीयत अनुसार devolve होगी ? या विरासत अनुसार devolve योग्य है?

अधी.न्यायालय द्वारा विवेचित तनकियात में यह विनिश्चत निर्विवाद रूप से विनिश्चत है कि विवाद का Key Person अविवादित फोत हुआ है तथा विवादित आराजी गोधासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में स्वयं ने अर्जित की थी जो अधी. न्यायालय के दस्तावेजी साक्ष्यो प्रदर्श Ex 35A, Ex 36A बेचान दस्तावेज जिसके द्वारा विवादित आराजी गोधासिंह ने क्रय की थी से साबित एवं प्रमाणित होकर प्रकरण हाजा की आराजी स्वअर्जित सम्पति है। जो वसीयत की आवश्यक शर्त होकर valid will की सभी characteristics उपलब्ध होकर विधिवत उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन हुआ है जिसमें निष्पादककर्ता (वसीयतकर्ता) गोधासिंह द्वारा उपपंजीयक के समक्ष निष्पादन स्वीकार करना prooved है। अतः अपील मीमों का कथन है कि वसीयत फर्जी है मानने योग्य नहीं है, वसीयत के फर्जी होने के कथन का परीक्षण भी प्रकरण हाजा में होकर प्राथमिकी दर्ज होकर अन्वेषण एजेन्सी द्वारा उसमें FR लगाई है।

जब वसीयत सभी Angels से सही साबित एवं प्रमाणित होने के पश्चात वसीयतकर्ता की मृत्यु उपरान्त उसकी कृषि भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 40 के अनुसार devolve होगी के आज्ञापक प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में उपलब्ध है जिसकी प्रथम opening line है कि :– " When a tenant dies intestate (बिना वसीयत किये) his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of death" अतः प्रमाणित रूप से विवादित आराजी वसीयत अनुसार devolve होगी जो अधी. न्यायालय की पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श Ex 2 नामान्तरणकरण दिनांक 30.11.1984 रेस्पो. के पक्ष में निर्णित होकर पिछले 33 वर्षो से राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा

6/11/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी.न्यायालय में परिक्षित दस्तावेजी साक्ष्यों EX A2, EX A3, EX A4, EX A30A, EX A31A, EX A32A, EX A33A, EX A23A, EX A24A, EX A 25A, के अनुसार रेस्पो. के कब्जे में होने की वजह से मियाद अधिनियम 1963 का चैप्टर iv रेस्पो. को protect करता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63iv के प्रावधानुसार अपीलांट का claim विरासत अनुसार खारिज योग्य होकर विवादित आराजी से "Interest extinguished" हो जाने से अपीलांट की Legal locus- standai नहीं होने के विवेचन के साथ अधी. न्यायालय के निर्णय में कोई हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा वसीयत आधारित संधारित राजस्व रिकार्ड 'Legal and valid' घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

6/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. बलवीरसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. गुरदपीसिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. गुरशरणसिंह पुत्र अंग्रेजसिंह जाति जटसिख नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुखजिन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. सुखविन्द्रकौर पत्नी अंग्रेजसिंह निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. जसवीरकौर पत्नी बलविन्द्रसिह जाति जटसिख निवासी 40 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. गुरमेलकौर पुत्री सोहनसिंह पत्नी बेशाखासिंह जाति जटसिख निवासी खरला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. सरजीतकौर पुत्री सोहनसिंह पत्नी तोतासिंह जाति जटसिख निवासी अरायण तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

——रेस्पोडेन्टस

अपील संख्या 89/2012 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर मुर्क्ख 13 माह 08 सन् 2012

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 06 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री राजकुमार नागपाल अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री सुभाष मिढा अभिभाषक रेस्पों. व श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत

6/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

लगातार पेज 2

के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा वसीयत आधारित संधारित राजस्व रिकार्ड 'Legal and valid' घोषित किया जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.11.2017 जारी किया गया।

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर